कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत)
केम्प कोर्ट–कोटडी

–::आदेश::–

प्रार्थीया के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना–पत्र एवं पटवारी **कोटडी** व भू–अभिलेख **निरीक्षक– आगुंचा** की रिपोर्ट तथा तहसीलदार हुरड़ा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में **ग्राम– कोटडी** तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा की जमाबन्दी सम्वत् **2073 से 2076** में **खाता संख्या 464** में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रुप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :–

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	कोटडी	464	मन्जूदेवी पत्नि कैलाशचन्द्र पारीक	मन्नूदेवी पत्नि कैलाशचन्द्र पारीक किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा–भीलवाड़ा

(नन्दकिशोर राजोरा)
पीठासीन अधिकारी,
लोक अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर गुलाबपुरा

कमांक :–रेवेकोर्ट/129/2018 **दिनांक 09.05.2018**

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार हुरड़ा।
2. पटवारी कोटडी को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार इन्द्राज दुरूस्त करें।
3. प्रार्थी/ मन्नूदेवी पत्नि कैलाशचन्द्र पारीक को सूचनार्थ।
4. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर गुलाबपुरा
जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner